समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला निर्वाचन कार्यालय)

दिनांक 06-06-2015 को जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्ष /सचिव के साथ बिहार विधान परिषद् के चुनाव के अवसर पर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं मतदान केन्द के युक्तीकरण से संबंधित बिन्दुओं पर बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

पंजी अनुसार।

(2) कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्ष /सचिव का स्वागत किया गया एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद् -2015 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से अवगत कराया गया। बताया गया कि बिहार विधान परिषद् के स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र, (सहरसा-सह-मधेपुरा-सह-सुपौल) जिसके निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, सहरसा हैं, का निर्वाचन निम्न तिथियों के अनुसार होगा :-

क्रमांक	कार्यक्रम	तिथि
1	अधिसूचना निर्गत की तिथि	11जून, 2015 (बृहस्पतिवार)
2	नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि	18जून, 2015 (बृहस्पतिवार)
3	नामांकन की जाँच	19जून, 2015 (शुक्रवार)
4	अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि	22 जून, 2015 (सोमवार)
5	मतदान की तिथि	07 जुलाई 2015 (मंगलवार)
6	मतदान का समय	08:00 पूर्वा0 से 04:00 बजे अप0
7	मतगणना की तिथि एवं समय	10 जुलाई 2015 (शुक्रवार) 08:00 प्रातः से
8	निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि	14 जुलाई 2015 (मंगलवार)

- जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त घोषणा के साथ हीं पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके संबंध में जानकारी दी गई। उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा सभी मान्यता प्राप्त दलों के अध्यक्ष एवं सचिव को विस्तार से विन्दुवार बताया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया कार्यक्रम की प्रति सभी संबंधित राजनैतिक दलों के अध्यक्ष /उपाध्यक्ष /सचिव को उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त क्रम में यह भी बताया गया कि आदर्श आचार संहिता निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक यह प्रभावी रहेगा, जिसके क्रम में राजनैतिक दलों एवं

अभ्यर्थियों के मार्ग दर्शन के लिए आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता में उल्लिखित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन नितांत आवश्यक है।

- सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि घैलाढ़ एवं गम्हरिया की मतदान केन्द्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जिससे सभी राजनीतिक दलों ने सहमति जतायी।

अन्त में जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में बिहार विधान परिषद् -2015 का निर्वाचन सम्पन्न कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने की अपील के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 235(A)/निर्वा0, मधेपुरा, दिनांक 06/06/2015

प्रतिलिपि : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला /सभी थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के जिला अध्यक्ष /सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/06/2015

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।